भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2941

जिसका उत्तर दिनांक 03.08.2022 को दिया जाना है

समुद्र तटीय रेत खनिज

2941. श्री श्रीधर कोटागिरी :

डॉ. संजीव कुमार शिंगरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने संभावित पट्टेदार के रूप में आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) को 16 समुद्र तटीय रेत खनिज वाले क्षेत्रों को आबंटित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा संभावित पट्टेदार के रूप में एपीएमडीसी को कितने क्षेत्रों की अनुशंसा की गई है;

(ग) शेष क्षेत्रों के लिए संभावित पट्टेदार के रूप में एपीएमडीसी की अभी तक अनुशंसा नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का शेष क्षेत्रों के संबंध में संभावित पट्टेदार के रूप में एपीएमडीसी के पक्ष में अनुशंसा किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) (i) आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम (एपीएमडीसी) को पुलिन बालू खनिज (बीएसएम) के लिए प्रत्याशित पट्टेदार के रूप में मनोनीत करने हेतु परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) को आंध्र प्रदेश सरकार से 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ii) डीएई ने 90.15 हेक्टेयर भिमुनिपट्नम निक्षेप, विशाखापट्नम जिला और 1978.471 हेक्टेयर मछिलीपट्नम निक्षेप, कृष्णा जिला में दो बीएसएम निक्षेपों के संबंध में एपीएमडीसी को प्रत्याशित पट्टेदार के रूप में क्रमशः 25.03.2021 और 15.04.2021 को मनोनीत किया है।

(ग), (घ) तथा (ङ) खान मंत्रालय से पर्यावरण की क्षति, खनन कानूनों के उल्लंघनों और मोनाज़ाइट के गैरकानूनी निर्यात के संदर्भ में दिनांक 11.06.2021 का पत्र प्राप्त होने पर, एपीएमडीसी के शेष प्रस्तावों पर कार्रवाई को स्थगित रखा गया है। डीएई ने आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष मामला प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि वे आरोपों की जांच करें। आगे, डीएई ने कथित उल्लंघनों पर भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा जांच करवाने के लिए भी खान मंत्रालय से अनुरोध किया है क्योंकि उत्पादन, परिवहन, बिक्री इत्यादि संबंधी संपूर्ण डाटा आईबीएम के पास उपलब्ध है।

*****